आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
25.02.2020		

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया

उत्पाद वाद संख्या-78/2020

राज्य

बनाम

1. **जितेन्द्र साह, पिता बहोर साह, द्वारा अमीलाल धनतोथ खालपाड़ा रोड, सिलिगुड़ी, जिला-दार्जीलिंग, पीन नं0-734005, पश्चिम बंगाल। वर्तमान पता-सा0-बड़ी शंख, थाना-मुफ्फसिल, जिला-बेगुसराय। (जप्त बोलेरो सं0-WB73E-7061 के मालिक)**

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। **अधीक्षक, मद्य निषेध, पूर्णिया के पत्रांक 1273/म0नि0 दिनांक-31.12.2019** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि **उक्त वाहन की जांच दिनांक 17.11.2019 को समेकित जांच चौकी, दालकोला के पास की गई।** जांच के क्रम में **उक्त वाहन से इम्पेरियल ब्लू का 2400 बोतल (प्रति बोतल 375 मि0ली0) विदेशी शराब** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पूर्णिया के न्यायालय में वाद दर्ज कराई गई। अधीक्षक, मद्य निषेध, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा का अवलोकन किया। उनका कथन है कि विपक्षी जप्त वाहन के स्वामी हैं। उत्पाद विभाग द्वारा वाहन के सभी मूल कागजातों के साथ वाहन को जप्त किया गया है। अतएव उत्पाद विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त कर वाहन मुक्त करने की कृपा की जाए।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि **उक्त वाहन से इम्पेरियल ब्लू का 2400 बोतल (प्रति बोतल 375 मि0ली0) विदेशी शराब** बरामद हुआ है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कारणपृच्छा में जप्त शराब के संबंध में किसी प्रकार का तथ्य नहीं लाया गया है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि उत्पाद विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त कर वाहन मुक्त किया जाए, जबकि अधीक्षक, मद्य निषेध, पूर्णिया से प्रतिवेदन प्राप्त कर ही राजसात की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'ख' में वर्णित है कि "उसे ढ़ोने के

काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।" स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 "विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्त्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।" ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत् प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

विपक्षी से प्राप्त कारणपृच्छा, अधीक्षक, मद्य निषेद्य, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा संतोषप्रद नहीं है जिसे अस्वीकृत किया जाता है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त बोलेरो सं0-WB73E-7061** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।